भारतवंशी विश्व की अनोखी धरोहर

साभारः पीआईबी
(7 अगस्त, 2017)

प्रगित परमेश्वरन
(मीडिया कंसल्टेंट)

सार

लेखक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लेखों की एक सीरीज के माध्यम से इस लेख में भारत के विकास में उन भारतीयों की भूमिका रेखांकित की है, जो भारत छोड़ विदेश में रहते हैं। साथ ही भारतवंशियों के प्रति अपनायी गयी नीतियों की चर्चा की है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

1990 में जब सद्दाम हुसैन की ईराकी सेनाओं ने कुवैत पर हमला किया तो मुतुन्नि मैथ्यूज ने, जिन्हें टोयोटा सनी के नाम से अधिक पहचाना जाता है, मसीहा मैथ्यूदज बनकर वहां फंसे भारतीयों की जीवन रक्षा की। सनी ने जैसा अनोखा कार्य किया उससे कुवैत युद्ध में फंसे 1,70,000 हजार भारतीयों को 488 उड़ानों के जरिए भारत लाने में बड़ी मदद मिली।

2017 का साल भारतवंशियों के लिए सबसे बड़े नुकसान का साल कहा जा सकता है क्योंकि इसमें एक बॉलीवुड फिल्मस के प्रेरणा स्रोत रहे टोयोटा सनी इस दुनिया से चल बसे। लेकिन ऐसे कई प्रवासी भारतीय (एनआरआई) हैं जिन्होंरने राष्ट्रद के इतिहास के विभिन्न। कालखंडों में भारत को गौरवान्वित किया है।

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर नोबेल पुरस्कोर विजेता वैज्ञानिक हरगो विंद खुराना तक और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्याप नडेला तथा जानेमाने संगीत निर्देशक जुबिन मेहता जैसे प्रवासी भारतीयों की सूची बड़ी लंबी है और विश्वज के प्रति उनके अवदान भी अत्यं त महत्वरपूर्ण है।

आज हमें जीवन के तमाम क्षेत्रों में भारतीय नजर आते हैं। चाहे फिल्म कार हों, वकील हों, पुलिसकर्मी हों, लेखक हों या व्याघ्पारी हों, दुनिया भर में विभिन्न‍न क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों ने अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़े हैं।

राष्ट्र आज दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी देने वाला देश होने का दावा कर सकता है क्योंरकि भारतीय मूल के तीन करोड़ से भी अधिक लोग आज विदेशों में प्रवास करते हैं। हालांकि कुल संख्या की दृष्टि से प्रवासी भारतीयों की तादाद देश की कुल जनसंख्यात का मात्र एक प्रतिशत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग भारत के सकल घरेलू उत्पायद में 3.4 प्रतिशत का योगदान करते हैं। पिछले साल जारी विश्वा बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2015 में प्रवासियों द्वारा सबसे अधिक रकम प्राप्त करने वाला देश था क्यों कि इस दौरान उसे 69 अरब डालर की अनुमानित आमदनी हुई।

भारतवंशियों की छवि कुशल, शिक्षित और धनी समुदाय के रूप में उभरी है। पिछले दशक में व्याकपार, पूंजी और श्रम के वैश्वीकरण की बुनियाद मजबूत होने से अत्यंदत कुशल प्रवासी भारतीयों की तादाद में जबरदस्तू इजाफा हुआ है।

भारत के करीब 3 करोड़ प्रवासी जिन-जिन देशों में रह रहे हैं वहां की तमाम महत्वकपूर्ण जिम्मेरदारियां और भूमिकाएं निभा रहे हैं और इस तरह इन देशों की नियति का निर्धारण करने में योगदान कर रहे हैं। सिंगापुर के राष्ट्र पति, न्यूयजीलैंड के गवर्नर जनरल और मारीशस तथा ट्रिनिडाड-टोबैगो के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं।

ड्यूक विश्वथविद्यालय और कैलीफोर्निया विश्विविद्यालय द्वारा कराए गये एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका में 1995 से 2005 तक प्रवासियों द्वारा स्थारपित इंजीनियरी और आईटी कंपनियों में से एक चौथाई से ज्या दा भारतीयों की थीं। इतना ही नहीं देश के होटलों में से करीब 35 प्रतिशत के स्वालमी प्रवासी भारतीय ही थे।

अमेरिका की सन् 2000 की जनगणना के अनुसार वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों की औसत वार्षिक आय 51 हजार डॉलर थी जबकि अमेरिकी नागरिकों की औसत वार्षिक आय 32 हजार डॉलर थी। करीब 64 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों के पास स्ना तक की डिग्री या इससे ऊंची शैक्षिक योग्यीताएं थीं जबकि डिग्रीधारी अमेरिकियों का समग्र औसत 28 प्रतिशत और डिग्रीधारी एशियाई-अमेरिकियों का औसत 44 प्रतिशत था। करीब 40 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों के पास स्नायतकोत्तोर, डाक्ट्रेट या अन्य पेशेवर डिग्रियां थीं जो अमेरिकी राष्ट्रीशय औसत से पांच गुना अधिक है। विदेशों में जब भारतीय मूल के किसी व्य क्ति को सम्मानि मिलता है तो इससे हमारे देश का भी सम्मादन होता है और भारत बारे में लोगों की समझ बढ़ती है। प्रभावशाली भारतवंशी न सिर्फ उस देश के जनमत पर असर डालते हैं बल्कि वहां की सरकारी नीतियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है जिसका लाभ भारत को मिलता है। भारत को इन लोगों के माध्य म से एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि वे बड़ी बहुराष्ट्री य कंपनियों और उद्यमिता वाले उपक्रमों को भारत जाने को प्रेरित करते हैं।

सरकार ने भारत के विदेश नीति संबंधी कार्यक्रमों के माध्यहम से स्वदेश में बदलाव लाने पर जोर देना जारी रखे हुए है। स्वदेश लौटकर नया कारोबार शुरू करने वाले भारतवंशी अपने साथ तकनीकी और किसी खास कार्यक्षेत्र की विशेषज्ञता लेकर आते हैं जो देश के लिए बड़े मददगार कारोबारी साबित होते हैं। विदेशों में कार्यरत शैघ्क्षणिक क्षेत्र के भारतवंशी भारतीय शिक्षा संस्थायओं में शिक्षा की

गुणवत्तात में सुधार के लिए स्वेशच्छा से अपना समय और संसाधन मुहैया करा रहे हैं। इंडो यूनीवर्सल कोलैबोरेशन ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन की सदस्यय संस्थाएं इसका उदाहरण हैं। इसका पता मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के साथ-साथ बुनियादी ढांचे तथा परिवहन संपर्क सुधारने और शहरी व ऊर्जा क्षेत्र में चहुंमुखी टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयासों अथवा निजी वाणिज्यिक समझौतों से चलाई जा रही परियोजनाओं से साफ तौर पर चल जाता है।

प्रवासियों के अनुकूल नीतियां

सरकार प्रवासी भारतीयों के रूप में अपनी सबसे बड़ी पूंजी की सुरक्षा को सर्वोच्चा प्राथमिकता देना जारी रखे हुए है जिसके लिए अनेक नीतियां बनायी गयी हैं और पहल की गयी हैं। प्रवासन की प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित,व्य वस्थित, कानून-सम्मघ्त और मानवीय बनाने के लिए संस्थानगत ढांचे में सुधार के मंत्रालयके प्रयास भी जारी हैं।

प्राथमिकता वाला एक क्षेत्र है प्रवासन चक्र के विभिन्नक चरणों, जैसे विदेश रवानगी से पहले, गंतव्य देश में पहुंचने और वहां से वापसी के समय प्रवासी कामगारों को मदद देने वाले समूचे तंत्र को सुदृढ़ करना। प्रवासी भारतीय श्रमिकों के कौशल में सुधार और उनके व्या वसायिक कौशल के प्रमाणन के लिए नयी पहल की गयी हैं।

2 जुलाई, 2016 को विदेश मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किये जिसका उद्देश्य प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) पर अमल करना था। राष्ट्री य कौशल विकास निगम इस योजना को लागू करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है जिन्हें स्थानीय जरूरतों के अनुरूप अनुकूलित किया जाएगा।

पिछले साल गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केन्द्रक का उद्घाटन किया और इसे भारतवंशियों को समर्पित किया। इस केन्द्रल की स्था पना का उद्देश्य दुनिया भर में फैले भारतवंशियों द्वारा विदेशों रह कर किये गये परिश्रम और धैर्य का स्मरण करना और उसके परिणामस्वरूप हासिल उपलब्धियों और विकास की ओर ध्या न आकृष्टण करना है।

भारत के महानतम प्रवासियों में से एक "महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से स्वतदेश वापसी की स्मृसति में देश में हर साल प्रवासीय भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें देश-विदेश में भारतवंशियों के योगदान को याद किया जाता है।"

संबंधित तथ्य

प्रवासी भारतीय सम्मान

प्रवासी भारतीय (पीबीएसए) ऐसा सर्वोच्च सम्मान है, जो किसी प्रवासी भारतीय को दिया जाता है। पीबीएसए प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) कन्वेशन के भाग के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति अथवा किसी अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा स्थापित या संचालित एनजीओ या संस्था को प्रदान किया जाता है, जो ऐसा समारोह है, जिसका आयोजन वर्ष 2003 से निरंतर किया जा रहा है। यह पुरस्कार निम्निखित क्षेत्रों के लिए प्रदान किया जाता है

- विदेशों में भारत की बेहतर समझ का प्रसार
- एक मूर्त रूप में भारत के मुद्दों और चिंताओं को समर्थन
- भारत, प्रवासी भारतीय समुदाय तथा उनके निवास के देश के बीच घनिष्ठ संबंधों का निर्माण
- भारत और विदेशों में सामाजिक और मानवीय मुद्दे।
- स्थानीय भारतीय समुदाय का कल्याण;
- लोकोपकारी और परोपकारी कार्य;
- व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता अथवा उत्कृष्ट कार्य, जिसने निवास के देश में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि की हो; अथवा
- कौशलों में उत्कृष्टता जिन्होंने उस देश में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि की हो (गैर-पेशेवर कर्मकारों के लिए)

प्रवासी भारतीय दिवस

- प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी के दिन इस अवसर का जश्न मनाने के बाद से यह 1915 में इस दिन पर था कि महात्मा गांधी, सबसे बड़ा प्रवासी, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और हमेशा के लिए भारतीयों के जीवन को बदल के रूप में चुना गया था।
- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनों हर साल आयोजित किया जा रहा है 2003 के बाद से इन सम्मेलनों प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए एक मंच सरकार और पारस्परिक रूप से लाभप्रद गतिविधियों के लिए अपने पूर्वजों की भूमि के लोगों के साथ संलग्न करने के लिए प्रदान करते हैं। इन सम्मेलनों प्रवासी भारतीय समुदाय दुनिया के विभिन्न भागों में रहने वाले के बीच नेटवर्किंग में भी बहुत उपयोगी होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उन्हें सक्षम बनाते हैं।
- घटना के दौरान, असाधारण योग्यता के व्यक्तियों के भारत के विकास में उनकी भूमिका की सराहना करने के लिए प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। घटना को भी विदेशों में बसे भारतीयों के विषय में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है।

संभावित प्रश्न

डायस्पोरा वर्ग ने सदैव भारत को वैश्विक कूटनीति में आगे रहने में सहायता की है। इस कथन के संदर्भ में कुछ उदाहरणों की सहायता से भारतीय डायस्पोरा वर्ग के योगदान की चर्चा करें।

राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के रिश्ते

साभार: प्रभात खबर
(8 अगस्त, 2017)

अनुराग चतुर्वेदी
(वरिष्ठ पत्रकार)

सार

इस आलेख में लेखक ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के रिश्तों की विश्लेषणात्मक चर्चा की है। साथ ही कुछ प्रमुख घटनाओं का वर्णन भी किया है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान को उसके लिखित होने के अलावा कई कारणों से जाना जाता है। केंद्र-राज्य संबंध, अधिकारों का बंटवारा और राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के अधिकारों-जिम्मेदारियों की स्पष्टता। फिर भी राष्ट्रपति भवन की ऊंची दीवारों के भीतर से असहमति की आवाजें कभी धीमे स्वर में तो कभी संवैधानिक दायरे में उठती रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संबंधों को एक नयी हवा और प्रगाढ़ संबंधों को परिपक्व होते लोकतंत्र में दो विरोधी विचारधाराओं के राजपुरुषों के मधुर रिश्तों के रूप में देखा जाना चाहिए।

प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना कर राष्ट्रपति भवन में भेजा था। वे नेहरू विचारधारा में पले-बढ़ेऔर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के काल में बड़ी जिम्मेदारिया को संभालते रहे और कई बार प्रधानमंत्री बनते-बनते भी रह गये। मुखर्जी अपने ज्ञान, अनुभव और समझ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके राष्ट्रपति पद के अंतिम दिन एक मार्मिक पत्र लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री को एक नयी भूमिका में देखा है।

मोदी लिखते हैं, 'प्रणब दा, आप हमेशा मेरे लिए पिता समान और मार्गदर्शक रहे। मेरा काम बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। इस दौरान आप मेरे पिता के समान और मार्गदर्शक रहे। आपकी बुद्धिमानी, मार्गदर्शन और स्नेह ने मुझे काफी विश्वास और शक्ति दी। आप मेरे प्रति काफी स्नेही और मेरा ध्यान रखनेवाले रहे। आप जब यह पूछते हुए फोन करते थे कि मैं उम्मीद करता हूं आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। मुझे दिन भर चली बैठकों और प्रचार यात्रा के बाद नयी ऊर्जा देने के लिए काफी था।'

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इन रिश्तों के माधुर्य को क्या दो विवेकवान राजपुरुषों की भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा और उनमें निहित जिम्मेदारियों के रूप में देखा जाना चाहिए, या क्या यह मान लेना चाहिए कि अब भारतीय तंत्र में राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के विवाद असहमति अतीत की बात हो गयी है। याद करें, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद का हिंदू कोड बिल पर सामने आये मतभेद। इंदिरा गांधी द्वारा अपनी पसंद का राष्ट्रपति वीवी गिरी के चुनाव के वक्त नीलम संजीव रेड्डी के पार्टी द्वारा मनोनीत होने के बाद विरोध कर गिरी को विजयी बनाना और 'अंतरात्मा की आवाज' का सिद्धांत गढ़ना।

अटल बिहारी वाजपेयी के काल में राष्ट्रपति कलाम ने फांसी की सजा पर एक तरह से रोक ही लगा दी थी और भारत फांसी की सजा के खिलाफ है, यह संदेश देश-दुनिया में गया। राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के विचार दो ध्रुवों की तरह अलग-अलग होते हैं, यह बात गलत साबित हुई। राष्ट्रपति ने असहिष्णुता और असहमति को लेकर भी खुल कर बोला और सरकार को बार-बार अध्यादेश लाने के खिलाफ भी ताकीद की, पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कभी कटुता न तो आयी, न सार्वजनिक हुई। संवैधानिक संस्था का सम्मान दोनों को ही करना होता है। ऐसे में हमें प्रधानमंत्री का पत्र पढ़ना होगा, जिसमें उन्होने राजनीतिक ईमानदारी से अपनी बात कही है।

'प्रणब दा, हमारी राजनीतिक यात्रा को अलग-अलग राजनीतिक दलों में गति मिली। हमारी विचारधाराएं अलग-अलग हैं, हमारे अनुभव भी अलग रहे हैं। मेरे प्रशासनिक अनुभव मेरे राज्य के हैं, जबकि आपने दशकों से हमारी राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था और राजनीति को बढ़ते हुए देखा है। आप के विवेक और आपकी बुद्धिमानी की यह शक्ति है, जो हम तालमेल से कार्य कर सके।'

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में तालमेल जरूरी है। वैसे ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच भी तालमेल जरूरी है। राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, विधानसभा में बहुमत विधानसभा में तय हो, राजभवन में नहीं। बोम्मई केस, जिसे सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी नजीर मानी जाती है, कहता है कि राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल या चुनाव के पूर्व बने गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए।

लेकिन, राज्यपाल के पदों पर सेवानिवृत्त राजनेताओं की नियुक्ति कांग्रेस के कार्यकाल से प्रारंभ हुई है और जिसे भाजपा भी पालन कर रही है। और एक निष्ठा बनाम संवैधानिक जिम्मेदारी में उलझ गयी है। इस समीकरण को प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी ने आपसी समझ और नये रिश्तों को सुलझा लिया। क्या ममता बनर्जी और केशरीनाथ त्रिपाठी एक 'नयी समझ' पैदा नहीं कर सकते, जहां मुख्यमंत्री को हमेशा यह भय न लगा रहे कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट हैं और उन्हें शासन करने में बाधा डालेंगे। हाल ही में बशीरहाट कांड में जब राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन पर कानून-व्यवस्था के बारे में जानकारीचाही, तो मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे पार्टी प्रतिनिधि के रूप में हमें धमका रहे थे, वे पक्षपाती हैं।

क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस नये माहौल में अपने संवैधानिक रिश्तों को नये रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूर की, जब उन्होंने बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति कोविंद के चुनाव के वक्त राज्यपाल को समर्थन किया, बिहार की 'बेटी' मीरा कुमार को नहीं।

प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति के रिश्ते, राज्यपाल-मुख्यमंत्री के रिश्ते संविधान में बताये गये हैं, लेकिन इन रिश्तों के बीच बार-बार दरार आती दिखायी देती है। लेकिन, क्या रिश्तों का कड़ुवापन अब अतीत की बात हो गयी है? क्या नये प्रतिमान बन रहे हैं? क्या यह एक 'भावुक' प्रधानमंत्री की पाती है? ये सवाल नयी व्याख्या चाहते हैं।

पत्र के अंत में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि अब राष्ट्रपति भवन युवाओं के नवोन्वेष और प्रतिभा को पहचानने के लिए खोल दिया गया है।

राष्ट्रपति को उस पीढ़ी का भी बताया, जो बिना किसी स्वार्थ की सेवा करता है। उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया। 'भारत को हमेशा आप पर गर्व रहेगा, आपकी विरासत हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी।' हर किसी को साथ लेकर चलने की मुखर्जी की दृष्टि को नरेंद्र मोदी ने दूरदृष्टि बताया और अंत में लिखा, 'राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री के रूप में आपके साथ काम करना गौरव था।'

यह गौरव केवल शाब्दिक या अलंकारिक नहीं रह जाये। इस रिश्ते को संवैधानिक पवित्रता देनी बहुत जरूरी है। यह रिश्तों का माधुर्य है, इस माधुर्य की महक सभी संवैधानिक पदों पर दिखेगी, तो एक नयी शुरुआत दिखायी देगी।

संबंधित तथ्य

भारत का राष्ट्रपति (The President of India)

संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति अभिव्यक्त रूप से राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन तथा कर्तव्य के संदर्भ में विस्तृत विवरण अनुच्छेद 52 से 62 तक दिया गया है।

संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति को यद्यपि राष्ट्रपति में निहित किया गया है तथापि यहां राष्ट्रपति के लिए बाध्यता लगाई गई है कि वह इस शक्ति का प्रयोग मंत्रीमंडल की सलाह से करे। यू. एन राव बनाम इंदिरा गांधी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया है कि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों की सर्वोच्च होती है। आगे अनुच्छेद 74(1), 72(2) तथा 75 (3) को साथ पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह तथा सहायता के बिना कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।

भारत का प्रधानमंत्री

संविधान में राष्ट्रपति को उनके कृत्यों के संचालन में सहायता तथा मंत्रणा प्रदान करने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह तथा सहायता प्रदान करने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में उसकी सलाह के अनुसार काम करेगा।

संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हेतु किसी विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 75 में मात्र इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। वस्तुतः भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मात्र सांविधानिक पक्ष की ही चर्चा की गई है। यहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति के व्यावहारिक पक्ष को छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का व्यावहारिक पक्ष है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मनमाने तौर पर भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता बल्कि वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो।

संभावित प्रश्न

भारत में प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति के मध्य रहे संबंधों की चर्चा अनुच्छेद 74 एवं अनुच्छेद 78 के संबंध में कुछ उदाहरणों की सहायता से करें।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करना जरूरी

साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड
(9 अगस्त, 2017)

ए के भट्टाचार्य

सार

इस लेख में लेखक ने बताया है कि वर्तमान केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार होने से कार्य में उतनी प्रभावशीलता नहीं आ पा रही है, जिसके लिए मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन आवश्यक है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

संसद का मॉनसून अधिवेशन इसी सप्ताह समाप्त होने वाला है। पूरी संभावना है कि संसद सत्र समाप्त होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन की मुहिम में लग जाएंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल का तीन साल बीत चुका है लेकिन इससे पहले कभी भी मंत्रिपरिषद पुनर्गठन की जरूरत इतनी शिद्दत से महसूस नहीं की गई थी। पिछले कुछ महीनों में मोदी सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर निकल चुके हैं और उनके द्वारा संभाले जा रहे मंत्रालयों को अन्य कैबिनेट मंत्रियों के हवाले किया गया है। इस साल मार्च के महीने में मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। जेटली के पास पहले से ही वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी थी लिहाजा उन पर रक्षा मंत्रालय के रूप में तीसरे मंत्रालय का भी बोझ आ गया।

पिछले महीने एम वेंकैया नायडू को जब सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया तो उन्होंने भी शहरी विकास और सूचना प्रसारण मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नायडू के इस्तीफे के बाद कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया जबकि शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया। तोमर के पास पहले से ही ग्रामीण विकास, पंचायतीराज , पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। इस तरह तोमर पर एक साथ चार मंत्रालयों को संभालने का भारी बोझ पड़ गया है। गत मई महीने में पर्यावरण एवं वन मंत्री अनिल माधव दवे के असामयिक निधन की वजह से भी एक और स्थान रिक्त हुआ था। दवे के निधन के बाद उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी हर्षवर्द्धन को सौंपी गई। उनके पास पहले से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भी जिम्मा था। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के प्रस्तावित फेरबदल में प्रधानमंत्री मोदी के सामने पहली चुनौती अतिरिक्त मंत्रालयों के बोझ से दबे मंत्रियों को राहत दिलाने की होगी। इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को शामिल करना होगा लेकिन राजग में मंत्री बनाने लायक नेताओं की कमी को देखते हुए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा।

फिर प्रधानमंत्री मोदी के पास रास्ता क्या बचता है? इस मौके का इस्तेमाल वह 'अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार' के अपने पुराने वादे को पूरा करने में कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री अपनी सरकार के शीर्ष ढांचे का आकार कम करने में सफल रहते हैं तो वह अपने वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से मोदी को मंत्रालयों का जिम्मा संभालने लायक नेताओं की कमी की समस्या से भी राहत मिल सकती है। वह कुछ मंत्रालयों को एक-दूसरे में समाहित करने के प्रस्ताव पर अमल करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

मसलन, एयर इंडिया की बिक्री का प्रस्ताव होने के साथ क्या अब अलग से नागरिक विमानन मंत्रालय की कोई जरूरत रह गई है? नागरिक विमानन आखिर एक बहुउद्देशीय परिवहन मंत्रालय का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता है? परिवहन मंत्रालय के तहत ही एक राज्य मंत्री को नागरिक विमानन का प्रभार सौंपा जा सकता है। असल में रेलवे, सड़क, राजमार्ग, जहाजरानी, जल मार्ग और विमानन सभी को एक साथ समाहित कर एक बड़े मंत्रालय में ला दिया जाए और एक कैबिनेट मंत्री को उसका नेतृत्व सौंपने के साथ संबंधित विभागों का जिम्मा राज्यमंत्रियों को दे दिया जाना चाहिए।

मोदी पहले भी ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभागों को एक ही मंत्री के तहत लाने का काम कर चुके हैं। हालांकि पेट्रोलियम के अलावा सभी ऊर्जा क्षेत्रों को एक मंत्रालय में शामिल नहीं किया गया है। अब उनके सामने अगला कदम उठाने की चुनौती है। ऊर्जा से संबंधित सभी विभागों को एक ही बड़े मंत्रालय में ला दिया जाए जिसमें कोयला, बिजली, गैर-परंपरागत ऊर्जा और पेट्रोलियम विभाग भी शामिल हों। इस ऊर्जा मंत्रालय का नेतृत्व एक कैबिनेट मंत्री करें और संबंधित विभागों के लिए एक-एक राज्य मंत्री बना दिए जाएं। वैसे सामरिक वजहों से नाभिकीय ऊर्जा विभाग सीधे प्रधानमंत्री के पास ही बने रहने देना होगा। आखिर सरकार को इस्पात मंत्रालय में ही दो मंत्रियों को रखने की क्या जरूरत है? एक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है तो दूसरा राज्य मंत्री है। इस्पात को एक समग्र उद्योग मंत्रालय का ही हिस्सा क्यों न बना दिया जाए? इसी तरह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयों को अलग-अलग बनाए रखने का क्या औचित्य है? समझदार विकल्प तो यह होता कि इन तीनों मंत्रालयों को एक ही उद्योग मंत्रालय के

मातहत ला दिया जाए। अगर बहुत जरूरी लगे तो एक कैबिनेट मंत्री के साथ संबंधित क्षेत्रों के लिए अलग राज्य मंत्री भी बनाए जा सकते हैं।

राजीव गांधी ने वर्ष 1985 में दो बड़े मंत्रालयों का गठन किया था। उसमें से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जिम्मा पी वी नरसिंह राव को सौंपा गया था जबकि परिवहन मंत्रालय का जिम्मा बंसीलाल को दिया गया था और सभी परिवहन विभागों के लिए अलग राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। सियासी लाभ उठाने के लिए सरकारों ने लगातार इस सिद्धांत को नजरअंदाज करने का काम किया है। परिवहन मंत्रालय को अब भंग किया जा चुका है और फिर से पुरानी स्थिति बहाल हो चुकी है। इसी तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी संस्कृति, कला, खेलकूद, युवा कल्याण, महिला और कौशल विकास को अलग कर या तो स्वतंत्र मंत्रालय या अलग विभाग बनाया जा चुका है। क्या मोदी एक बार फिर पुरानी कवायद को आगे बढ़ाने की पहल करेंगे? संबंधित कार्यों में लगे मंत्रालयों एवं विभागों को एक-दूसरे में समाहित कर सरकार को अधिक सक्षम एवं कारगर बनाया जा सकता है।

GS World

संभावित प्रश्न

''भारतीय शासन को प्रभावी बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है, मंत्रालयों एवं विभागों का बेहतर रूप से आवंटन एवं सही व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी देना।'' इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बलि चढ़ती हमारी खेती

साभारः दैनिक भास्कर
(10 अगस्त, 2017)

देविंदर शर्मा

सार

इस लेख में लेखक ने भारत में कृषि की गिरती स्थिति की चर्चा की है तथा इस बात की ओर ध्यान खींचा है कि वैश्विक समझौतों यथा डब्ल्यूटीओ का बाली, दोहा समझौता ने हमारी कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

कुछ साल पहले एक लेखक ने मुझसे वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा कि क्या जलवायु परिवर्तन से होने वाला नुकसान भविष्य में किसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगा। मैंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इससे बड़ी आपदा आने वाली है। किसान जानते हैं कि कब सूखा आने वाला है, वे जानते हैं जब गरमी का दौर लंबा खिंच जाए तो कौन से कदम उठाने हैं। वे कीटों के हमलों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं।

उन्हें पता है कि भारी वर्षा के दौरान फसल का नुकसान कैसे कम किया जाए। लेकिन, कल्पना कीजिए किसान को तब कितना आघात लगता होगा, जब उसे पता लगे कि बम्पर फसल के बाद कीमतें बुरी तरह गिर गई हैं। यह वही है जिसे मैं 'प्रोड्यूस एंड पैरिश' यानी पैदा करो और नष्ट हो जाओ कहता हूं। किसान रिकॉर्ड फसल लेता है सिर्फ पहले से देखी गई आपदा झेलने के लिए।

लगातार दो साल सूखे के बाद वर्षा के देवता आखिर मुस्कुराए। सामान्य कृषि मौसम की उम्मीद से किसानों ने पिछले दो मौसम के नुकसान की कसर निकालने के लिए खूब मेहनत की। उन्होंने सोचा कि अच्छी फसल उनके लिए अच्छी कीमतें लाएगी लेकिन, बाजार अचानक ध्वस्त हो गया। दालें, टमाटर, आलू, प्याज, सरसों और अन्य सब्जियों की कीमतें बुरी तरह गिर गईं, जिससे किसान अपनी उपज फेंकने पर मजबूर हो गए। किसान का गुस्सा विशाल विरोध प्रदर्शन में फुट पड़ा, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से हुई।

खेती के मोर्चे पर और भी संकट पैदा हो रहे हैं। ऐसे समय जब किसान संगठन कर्ज माफी और लागत पर 50 फीसदी मुनाफा देने की स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू करने की मांग के लिए 9 से 15 अगस्त तक जेल भरो आंदोलन की योजना बना रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि फिलहाल चल रही अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता वार्ताएं भारतीय कृषि के लिए अधिक बड़ा खतरा है। 1995 के बाद जब से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) वजूद में आया, विकासशील देशों को व्यापार संबंधी सारी पाबंदियां और आयात शुल्क हटाने पर मजबूर करने के प्रयास हैं। शुरू में डब्ल्यूटीओ के जरिये दो देशों या देशों के समूहों को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय मुक्त व्यापार संधि (एफटीए) करने के लिए आक्रामक तरीके से दबाव डाला गया।

तिरुवनंतपुरम स्थित स्वैच्छिक संगठन 'थानाल' के श्रीधर राधाकृष्णन बताते हैं कि आसियान ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ एफटीए ने केरल में बागानदारों की आजीविका पर प्रहार किया है। वे कहते हैं- 'सात साल पहले हमने केरल सरकार ने पूर्वानुमान लगाया था कि आयात शुल्क में कमी का केरल पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा खासतौर पर रबर मसालों के उत्पादकों पर।' वे बताते हैं कि पूर्वानुमान के मुताबिक बढ़ते आयात के साथ कीमतें गिर गई हैं। इस बातों पर ध्यान देकर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली केंद्र सरकार ने उन किसानों को मुआवजा या मदद के लिए कुछ नहीं किया, जिनकी जिंदगी-आजीविका पर गहरा असर हुआ। केरल सरकार पर यह बोझ डाल दिया गया कि वह हर साल कीमतें गिरने से रबर के किसानों को होने वाले 5 अरब रुपए के नुकसान की भरपाई करे।

इतना ही नहीं, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) संधि के तहत 92 फीसदी व्यापारिक वस्तुओं पर से आयात शुल्क हटाने पर विचार हो रहा है। जुलाई में हैदराबाद में इन वार्ताओं का ताजा दौर हुआ है। इससे भी बुरी बात यह है कि जो ड्यूटी जीरो हो जाएगी उसे बाद में बढ़ाया नहीं जा सकेगा। यह ऐसा प्रावधान है, जो डब्ल्यूटीओ में भी नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि भारत आरसीईपी संधि पर हस्ताक्षर करने पर सहमत होता है तो इससे भारतीय बाजार आने वाले समय के लिए बिना किसी आयात शुल्क के साथ खुल जाएगा। इससे 60 करोड़ किसानों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भारत का अधिकार छिन जाएगा। इस संधि पर दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन सहित 16 देश बातचीत कर रहे हैं। हर बार भारत जब व्यापार समझौतों में बातचीत करता है तो यह अपने पेशेवरों के लिए सीमा पार आवाजाही में आसान नियमों की मांग करता है। निश्चित ही यह महत्वपूर्ण है पर मुझे समझ नहीं आता कि क्यों खेती को इस प्रक्रिया में बलि चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 60 करोड़ किसानों को आजीविका देने वाली घरेलू खेती को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बलिवेदी पर तो नहीं रखा जा सकता। डेयरी सेक्टर का मामला लीजिए। अमूल डेयरी कोऑपरेटिव के सीनियर जनरल मैनेजर जयन मेहता बताते हैं कि आरसीईपी वार्ताओं से डेयरी फार्मिंग में 15 करोड़ आजीविकाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी।

भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। दूध और दूध के उत्पादों का आयात 40 से 60 फीसदी आयात शुल्क पर आयात करने की अनुमति है। इससे स्थानीय डेयरी उद्योग को पर्याप्त संरक्षण मिल जाता है ताकि वे बाजार में टिकने लायक स्पर्धा कर सके। यदि सारे द्वार खोल दिए जाए तो भारत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आने वाले सस्ते दूध की बाढ़ आ जाएगी। यह भूले कि सिर्फ 6,300 डेयरी फार्मर वाला ऑस्ट्रेलिया और 12,000 डेयरी फार्मर वाला न्यूजीलैंड अपने छोटे डेयरी समुदाय का संरक्षण आक्रामक ढंग से रख रहे हैं। वहीं भारत 15 करोड़ किसानों की आजीविका नष्ट करने पर तुला हुआ है।

भारत को हर तरह के फल, सब्जियों, फलियों, आलू, मसाले, बागानों की फसलों, बीज, रेशम, प्रसंस्करित खाद्य आदि के लिए बाजार खोलना पड़ेगा। हालांकि, भारत अब भी सिर्फ 80 फीसदी व्यापारिक वस्तुओं पर शून्य शुल्क पर जोर दे रहा है लेकिन, वार्ता पर चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया का आक्रामक रवैया हावी है।

दुनिया को यह समझने में बरसों लग गए कि डब्ल्यूटीओ सिर्फ शीर्ष 1 फीसदी के वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया था। इससे सबक लेकर आरसीईपी संधि के लिए वार्ताएं पूरी गोपनीयता में हो रही हैं। वार्ता के हैदराबाद दौर में क्या आदान-प्रदान हुआ, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। अत्यधिक सुरक्षा गोपनीयता में चल रही वार्ता में चंद लोग फैसले लेते हैं, जो आखिरकार 99 फीसदी आबादी के भविष्य पर असर डालते हैं। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है

मुक्त व्यापार संधि (free trade agreement-FTA)

- मुक्त व्यापार संधि का प्रयोग व्यापार को सरल बनाने के लिये किया जाता है। एफटीए के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है।
- इसका एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन दो देशों के बीच में यह संधि की जाती है, उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इसके लाभ को देखते हुए दुनिया भर के बहुत से देश आपस में मुक्त व्यापार संधि कर रहे हैं।
- इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इससे वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिलती रही है। हालांकि कुछ कारणों के चलते इस मुक्त व्यापार का विरोध भी किया जाता रहा है।

एफटीए से संबंधित वैश्विक अनुभव

- ऐसे देश जो वस्तु एवं सेवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, वे एफटीए के जरिये तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ कमा सकते हैं। फिर भी एफटीए के माध्यम से हर कोई लाभ कमाता है, लेकिन आज एफटीए की प्रचलित अवधारणा और वास्तविकता के बीच टकराव देखने को मिल रहा है।
- विदित हो कि 'उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता', जिसे 1994 में लागू किया गया था, मैक्सिको को निर्यात के कारण 200,000 नई नौकरियाँ पैदा करने वाला था, लेकिन 2010 तक अमेरिका की मैक्सिको के साथ व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हुई और लगभग 700,000 रोजगार समाप्त हो गए।
- 2010 में अमल में लाये गए यूएस-कोरिया मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य अमेरिकी निर्यात और नौकरियों में वृद्धि करना था, लेकिन तीन साल बाद व्यापार घाटा और बढ़ गया।
- उल्लेखनीय है कि वैश्वीकरण, आउटसोर्सिंग, भारत एवं चीन के उदय और कम लागत वाले श्रम बाजारों को इन परिस्थितियों का जिम्मेदार ठहराया गया।

क्या है RCEP ?

- यह एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 16 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है।
- इस बारे में हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बंद कमरों में वार्ता जारी है। यह तकनीकी स्तर पर आरसीईपी व्यापार वार्ता समिति की बैठक का 19वाँ दौर है। इसके अलावा, अब तक चार मंत्रिस्तरीय बैठकें और तीन अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं।
- भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) पर वार्ता को आगे ले जाने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

किन बातों का रखना होगा ध्यान ?

- भारत ने हमेशा व्यापार को उदार बनाने के लिये बहुपक्षीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है, लेकिन यहाँ कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं।
- पिछले 10 वर्षों में जिन देशों का भारत के साथ क्षेत्रीय व्यापारिक संधि यानी आरटीए थी और जिनके साथ यह संधि नहीं थी, दोनों ही परिस्थितियों में भारत का निर्यात समान दर से बढ़ा है।
- दरअसल, यह तथ्य सामने आया है कि आरटीए के अंतर्गत टैरिफ में कमी लाने से निर्यात में उतनी वृद्धि नहीं होती है, जितनी कि गंतव्य देशों की आय में वृद्धि से होती है।
- विदित हो कि पाँच में से केवल एक निर्यातक ही आरटीए मार्ग का उपयोग करता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि संबंधित आसियान देशों, कोरिया और जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा संबंधित एफटीए पर हस्ताक्षर करने के बाद से दोगुना हो गया है।

क्या हो आगे का रास्ता ?

- दरअसल, इसमें कोई शक नहीं है कि एफटीए, सिद्धांत की दृष्टि से एक उद्देश्यपूर्ण आर्थिक नीति है, लेकिन क्या यह व्यवहार में भी उतनी ही लाभदायक है? इस पर बहस की जा सकती है। इसलिये भारत को सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिये।
- ध्यातव्य है कि आरसीईपी को लेकर हैदराबाद में जारी वार्ता का देश भर के कई समूहों द्वारा विरोध किया जा रहा है। हालाँकि, वार्ता में शामिल भारतीय टीम भारत के हितों की रक्षा कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि यह एफटीए भारत के लिये अनुचित न हो।

संभावित प्रश्न

भारत में कृषि की दयनीय स्थिति के लिए सरकारी नीतियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कृषि समझौते भी उत्तरदायी हैं। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? चर्चा करें।

विवाह पंजीकरण से परेशानी क्यों

साभार: दैनिक जागरण
(11 अगस्त, 2017)

नाइश हसन
(लेखिका मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ता एवं रिसर्च स्कॉलर हैं)

सार

इस लेख में लेखक ने विवाह पंजीकरण कानून की एकरूपता में कमी होने के कारण बढ़ रहे वाद-प्रतिवादों की चर्चा की है तथा विवाह पंजीकरण से क्या समस्याएं उनपर लोगों से प्रश्न भी किया है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

वैसे तो अपने देश में कानून और जिंदगी साथ-साथ चलती नजर नहीं दिखती और ज्यादातर मामलों में दोनों की दिशा भिन्न ही नजर आती है, लेकिन इस सबके बावजूद कानून पर हिंदुस्तानियों का भरोसा बरकरार है। रोज अदालतों में पहुंचते तमाम मामले इसकी नजीर हैं। लोग बरसों तक न्याय की आस नहीं छोड़ते। अपने देश में विवाह पंजीकरण का मामला नया नहीं है। आजादी से पहले भी विवाह पंजीकरण पर बहस हुई और उसे कई राज्यों में लागू भी किया गया। बतौर उदाहरण असम मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद पंजीकरण अधिनियम 1935 में बना। आजादी के बाद ओडिशा पहला राज्य था जहां मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद पंजीकरण अधिनियम 1949 में बना। इसके अलावा बंगाल मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद पंजीकरण अधिनियम, 1976 में बना। बंबई विवाह पंजीकरण अधि नियम 1953 में बना। यह महाराष्ट्र के साथ गुजरात में भी मान्य था। हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 में बना। आंध्र प्रदेश अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2002 में सामने आया और यूपी हिंदू विवाह पंजीकरण अधिनियम 1973 में एवं हरियाणा हिंदू विवाह पंजीकरण नियम 2001 में बना। ईसाईयों और पारसियों पर लागू वैवाहिक कानून के तहत भी शादी का पंजीकरण अनिवार्य है। कुछ राज्यों ने इस मामले पर खामोशी बरकरार रखी। इसके पीछे भी कुछ सियासी वजहें ही रहीं, लेकिन इस मामले पर भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी अरसे से एक ही रहा है।

सीमा बनाम अश्विनी कुमार, 2006 के केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरिजीत पसायत और एसएम कपाड़िया द्वारा कहा गया था कि सभी व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, वे चाहे जिस धर्म के हों, उनकी शादी का अनिवार्य रूप से पंजीकरण होना चाहिए। विवाह पंजीकरण न होने से कई बार महिलाओं पर विपरीत असर पड़ता है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के लिए विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर एक कानून लाने के लिए भी 'अनिवार्य विवाह पंजीकरण बिल, 2005' भी तैयार किया गया था। भारत ने महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर 1993 में हस्ताक्षर भी किए थे। यह विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की बात करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह राय देते हुए हलफनामा दिया है कि विवाह का पंजीकरण न होना सबसे अधिक महिलाओं को प्रभावित करता है। आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसा कानून महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे बाल विवाह की रोकथाम और विवाह की न्यूनतम आयु सुनिश्चित होगी, गैर कानूनी द्विविवाह/बहुविवाह की जांच हो सकेगी, विवाहित महिलाओं को अपने वैवाहिक घर में रहने, भरण पोषण भत्ता आदि का अपना अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलेगी और विधवाओं को उनके विरासत के अधिकार और अन्य लाभ हासिल करने में मदद होगी। इस सबके अलावा इससे मुताह प्रथा भी रुकेगी जो कुछ क्षेत्रों में अभी भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त तीन तलाक का सिलसिला भी थमेगा और विवाह के बाद महिलाओं को छोड़ने से पुरुषों को रोकने में भी मदद मिलेगी। एक अन्य लाभ यह होगा कि माता-पिता/अभिभावकों को बेटियों को शादी के नाम पर विदेशियों समेत किसी के भी हाथों बेचने से रोका जा सकेगा।

कोर्ट ने उक्तकेस पर बहस के वक्त यह चिंता जाहिर की थी कि विवाह पंजीकरण के अभाव में कुछ बेईमान व्यक्तिअपने स्वार्थ के लिए शादी से इन्कार कर रहे हैं। वे ऐसा करने में इसलिए समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर राज्यों में विवाह के आधिकारिक रिकार्ड नहीं होते। कोर्ट का कहना था कि अगर शादी का रिकार्ड रखा जाए तो काफी हद तक विवाह से जुड़े विवादों से बचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए थे। कुछ राज्यों ने इसे गंभीरता से लिया और कुछ ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की है। दुर्भाग्य की बात यह रही कि मुस्लिम समाज में पिछले कई वर्षो से यह विवाद का मुद्दा बना रहा है। कट्टरपंथियों का तर्क है कि निकाहनामा अपने आप में पंजीकरण है। ऐसे में किसी अन्य पंजीकरण की जरूरत नहीं है। और फिर यह उनका निजी मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में विवाह पंजीकरण को लागू करने का फैसला लिया और इसी के साथ पुरानी बहस एक बार फिर जिंदा हो गई। इसके पहले राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए मजहबी संगठनों का साथ देते हुए इस काम को करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। 2015 में तत्कालीन सरकार ने इसे लागू करने से मना कर दिया। ऐसा लगता है कि सरकारों के केंद्र में महिला कभी रही ही नहीं, अन्यथा क्या कारण है कि महिला संगठनों की लगातार मांग के बावजूद विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने की दिशा में समय रहते आगे नहीं बढ़ा गया? विवाह पंजीकरण अनिवार्य किए जाने के फैसले को कुछ मजहबी संगठन धार्मिक आजादी में दखल बता रहे हैं। उन्हें यह बात समझनी होगी कि किसी भी विदेश यात्रा पर जाते समय पति-पत्नी अपना निकाहनामा

दिखाकर वीजा नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक कि जिलाधिकारी उसे प्रमाणित न करे। जाहिर है कि इस काम में समय लगता है। यदि विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र हो तो वह फायदेमंद ही होगा।

एक तरफ तो मुस्लिम मजहबी तंजीमें विवाह पंजीकरण को धार्मिक आजादी में दखल बता रही हैं जो कि सच नहीं और दूसरी तरफ कुछ लोग अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए यह कह कह रहे हैं कि पंजीकरण न कराने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यह तर्क देने वाले यह ध्यान रखें कि तमाम हिंदू जोड़े उप्र हिंदू विवाह पंजीकरण कानून 1973 लागू होने के बावजूद पंजीकृत नहीं हैं। क्या उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी दंडात्मक कार्रवाई की बात नहीं की है। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि किसी समुदाय विशेष को निशाना न बनाया जाए। विवाह के साथ ही तलाक का पंजीकरण भी अनिवार्य होना चाहिए। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि पंजीकरण की प्रक्रिया हर परिवार तक आसानी से पहुंच सके। जिस प्रकार जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रचार-प्रसार के माध्यम से आमजन के लिए सुलभ है उसी प्रकार विवाह और तलाक का पंजीकरण भी सुलभ हो सकता है। यह देश की समस्त महिलाओं के लिए सुलभ होना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें न्याय पाने में मदद मिलेगी।

बाल विवाह के खिलाफ अधिकार

बाल विवाह क्या है?

बाल विवाह का मतलब है जहां विवाह से संबंधित पक्षों में से कोई भी पक्ष बालक हो। बालक का मतलब है वह व्यक्ति, यदि पुरुष है तो 21 वर्ष से कम आयु, यदि महिला है तो वह जिसने 18 साल की आयु पूरी नहीं की हो।

बाल विवाह करने पर सजा

कोई भी व्यक्ति जो 18 से ऊपर तथा 21 वर्ष से कम आयु का है, और बाल विवाह करता है, ऐसे व्यक्ति को (चाहे पुरुष हो या महिला) सजा का हकदार माना जायेगा। बाल विवाह कराने पर 15 दिन की साधारण कैद या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। जबकि 21 वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुष को बाल विवाह करने वाला भी सजा का हकदार माना जायेगा। जिसे 3 महीने की साधारण कैद तथा जुर्माना दोनों हो सकता है ।

बाल विवाह कराने पर सजा

बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति को 3 माह की साधारण कैद तथा जुर्माना हो सकता है। आरोपी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पास विश्वसनीय कारण थे कि विवाह बाल विवाह नहीं था।

बाल विवाह कराने पर माता-पिता को सजा

अगर अव्यस्क का बाल विवाह होता है, तो जो भी व्यक्ति अवयस्क की जिम्मेदारी उठा रहा होगा, चाहे मां-बाप या अभिभावक, जो बाल विवाह को संपन्न कराते हैं या बढ़ावा देते हैं तथा उसको नहीं रोकते हैं, उनके लिए सजा का प्रावधान है।बाल विवाह को इजाजत देने, न रोकने या बढ़ावा देने पर 3 माह की साधारण कैद तथा जुर्माना हो सकता है।हालांकि इस धारा के तहत किसी महिला को कैद नहीं हो सकती है ।गुजरात में इस अपराध को संज्ञेय अपराध माना गया है।

बाल विवाह (निरोधक) अधिनियम, 1929

यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के हिंदू पुरुष, 15 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ हुए विवाह को अमान्य घोषित नहीं कर सकता है। बशर्ते वह हिंदू धर्म के अनुसार किया गया हो ।यह अधिनियम बाल विवाह को रोकता है परंतु उसे गैर कानूनी या अमान्य घोषित नहीं करता है। यह उन लोगों को सजा देता है जो बाल विवाह करते हैं या उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं ।इस अधिनियम के तहत अवयस्क दंपति जिनका विवाह होता है, उन्हें सजा नहीं दी जाती है ।

बाल विवाह निवारण अफसर

बाल विवाह निवारण अफसर अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ हो रही शादी को रोकने के लिए उचित कदम उठा सकता है और इस अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ प्रभावी अभियोजन के लिए सबूत इकट्ठे कर सकता है।राज्य सरकार इस अफसर को पुलिस अफसर की शक्तियां दे सकती है। अगर राजपत्र अधिसूचना में वर्णित है। राज्य सरकार बाल विवाह निवारण अफसर को सलाह तथा सहायता के लिए गैर सरकारी सलाहकार समिति का गठन कर सकती है ।

बाल विवाह रोकने के लिए याचिका

बाल विवाह रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति या संगठन हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर सकता है। या अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

संभावित प्रश्न

विवाह पंजीकरण को लेकर व्याप्त आशंकाएं इस कानून में एकरूपता में कमी के कारण हैं। इस कथन का विश्लेषण करें।

अधिकार और सुरक्षा की नई लड़ाई

साभार: हिन्दुस्तान
(12 अगस्त, 2017)

पवन दुग्गल
(साइबर कानून विशेषज्ञ)

सार

इस लेख में लेखक ने साइबर सुरक्षा बनाम निजता की चर्चा को डिजिटलीकृत विश्व के संदर्भ में बताया है तथा इससे जुड़े विभिन्न पक्षों की चर्चा भी की है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

साइबर सुरक्षा और निजता के अधिकार का मसला देश में एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंच गया है। जाहिर है, इसकी पृष्ठभूमि में आधार कार्ड के डाटा लीक होने की खबर से लेकर तमाम तरह के एप्स से पैदा होने वाले खतरों की चिंताएं शामिल हैं। सबसे ताजा विवाद तो सऊदी अरब के जैनुल आबेदीन द्वारा विकसित एप 'सराहाह' को लेकर खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके जरिये एप यूजर्स किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, मगर मैसेज रिसीव करने वाला नहीं जान पाएगा कि संदेश किसने भेजा है? इस एप के जरिये अगर किसी को कोई धमकी दे, तो फिर क्या होगा? यूजर्स की पहचान उजागर न होने की सूरत में आतंक फैलाने के लिए इसका दुरुपयोग हो सकता है।

अगर हम निजता के अधिकार को देखें, तो इस अधिकार का विकास पश्चिमी देशों से आरंभ हुआ। अमेरिका और यूरोप में इस अधिकार का बहुत ज्यादा विकास हुआ, लेकिन हमने देखा कि 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद निजता के इस अधिकार को कम किया जाने लगा। इससे जुड़े नए-नए कानून आए, जिनमें सरकारों को यह हक मिला कि वे लोगों की निगरानी कर सकती हैं। उनकी चौकसी कर सकती हैं। पर यह उन राष्ट्रों के परिवेश व परिस्थितियों के आलोक में बने कानून थे। भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में विशिष्ट और अनूठी है। हम एक संयुक्त परिवार की जड़ से पैदा हुए समाज हैं। इसलिए भारत के लोगों को शेयर करना एक स्वाभाविक वैकल्पिक व्यवहार लगता है। हम लोग निजता के बारे में ज्यादा नहीं बात कर पाए और इस अधिकार का ज्यादा विकास हमारे देश में नहीं हुआ।

पिछले करीब एक-डेढ़ दशक से भारत के लोगों में एक नई जागरूकता आई है और उनमें एक नया विश्वास जगा है कि उनका जो 'पर्सनल स्पेस' है, उसका संरक्षण होना चाहिए। चाहे शिक्षित भारतीय हों या अशिक्षित, वे चाहते हैं कि जो उनके निजी दायरे में आने वाली चीजें हैं, उनमें कोई ताक-झांक न सरकार की तरफ से हो और न ही किसी अन्य एजेंसी द्वारा। यह अपेक्षा न सिर्फ मोबाइल को लेकर की जा रही है, बल्कि इंटरनेट पर अपनी गतिविधियों को लेकर भी।

भारत में निजता के अधिकार के संदर्भ में पहले तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यहां पर इस अधिकार को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। न ही भारत में कोई डाटा संरक्षण कानून है, जो डाटा की गोपनीयता की हिफाजत कर सके। अलबत्ता, उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न फैसलों में जीवन जीने के हमारे मौलिक अधिकार की व्याख्या करते हुए उसके दायरे को बढ़ाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद- 21 में जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार मिला है, वह इतना व्यापक है कि उसके अंतर्गत निजता का अधिकार भी आ जाता है। ऐसे में, अगर सरकार इसका किसी तरह से हनन करती है, तो आप अदालत की शरण ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह तक कहा है कि जीने के अधिकार के तहत ही सम्मान के साथ मानवीय जीवन जीने का अधिकार आता है। जाहिर है, आज के दौर में एक सम्मानित जीवन आप तभी जी सकते हैं, जब इंटरनेट तक आपकी पहुंच हो और आपकी निजता संरक्षित हो। अगर आपकी निजता संरक्षित नहीं होगी, तो आपको लगातार निशाना बनाया जाएगा। कई तरह के विज्ञापन अभियानों के लिए भी आपको परेशान किया जा सकता है।

अब आधार के संदर्भ में यह विवाद फिर से उच्चतम न्यायालय में आया है। मेरा मानना है कि निजता हमारे मूलभूत अधिकारों और जीवन जीने के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है और सरकार बिना किसी कानूनी प्रकरण के हमें इससे वंचित नहीं कर सकती। आज हमें यह भी देखना होगा कि आधार के मामले में लोगों के निजता के अधिकार का लगातार हनन हो रहा है। आधार की शुरुआत एक स्वैच्छिक प्रयोग के तौर पर हुई थी। मार्च 2016 में जब हमने आधार कानून को पारित किया था, तब भी यह स्वैच्छिक था, लेकिन कुछ महीनों के बाद सरकार ने इसे अनिवार्य बनाना शुरू कर दिया। अब यह लगभग हर चीज से जुड़ता जा रहा है। ऐसे में, आपकी हर गतिविधि सरकार मॉनिटर कर सकती है।

इस संदर्भ में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन आज के हालात में निजता के अधिकार का अभिन्न संबंध साइबर सुरक्षा से है। हम सुरक्षा पर कितना ज्यादा ध्यान देते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी कितनी निजता संरक्षित रख पाते हैं।

दुर्योग से ज्यादातर भारतीय उपभोक्ता साइबर सुरक्षा के बारे में नहीं जानते। वे मानते हैं कि उनके डिवाइस, नेटवर्क और डाटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा देने वाली कंपनी की है। यह कुछ-कुछ ऐसा ही है कि आप घर बहुत खूबसूरत व मजबूत बना लें, और दरवाजे के ऊपर ताला लगाना बंद कर दें, तो गलती घर बनाने वाले कांट्रेक्टर की नहीं है। गलती आपकी है। अगर उपभोक्ता डिवाइस की साइट पर सुरक्षा नहीं ढूंढ़ता और अंधाधुंध मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करता जाता है, बिना उनकी सेवा-शर्तों को पढ़े हुए, तो कहीं न कहीं उनकी निजता का हनन होगा ही, क्योंकि ये तमाम मोबाइल एप्लिकेशन अपनी शर्तों में कहते हैं कि हम आपके डाटा की कॉपी करेंगे, उनकी निगरानी व इस्तेमाल करेंगे। जब हम ये सारे अधिकार खुद उन्हें दे देते हैं, तो फिर बाद में शोर मचाने का बहुत औचित्य नहीं रह जाता।

इसलिए लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। आज हम अपनी निजता को संरक्षित रखने के जितने कदम उठा सकेंगे, उतनी ही वह सुरक्षित होगी। निस्संदेह, सरकारों का भी दायित्व है कि वे अपने नागरिकों की निजता के अधिकार का संरक्षण करें। लेकिन आज सरकारें इस तरफ जाना नहीं चाहतीं, क्योंकि साइबर अपराध और आतंकवाद के लिए इंटरनेट का इतना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है कि सरकारें ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं इकट्ठा करना चाहती हैं, ताकि कानून-व्यवस्था बरकरार रहे और उनके राष्ट्र की संप्रभुता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। लेकिन इस मामले में एक नियंत्रण-रेखा तो होनी ही चाहिए। कानून मानने वाले नागरिक की निजता का संरक्षण होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट लोगों के अधिकार और सरकार की जरूरतों के बीच कैसे समन्वय बिठाता है, यह तो उसके फैसले से ही साफ होगा।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013

- इस नीति का लक्ष्य इलेक्ट्रानिक लेनदेन का सुरक्षित माहौल तैयार करना, विश्वास और भरोसा कायम करना तथा साइबर जगत की सुरक्षा के लिए हितधारकों के कार्यों में मार्गदर्शन करना है।
- देश में सभी स्तरों पर साइबर सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए व्यापक, सहयोगात्मक और सामूहिक कार्यवाही के लिए रूपरेखा तैयार की गई है।
- इस नीति में ऐसे उद्देश्यों और रणनीतियों की आवश्यकता को मान्यता दी गई है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- इस नीति का विजन और मिशन नागरिकों, व्यवसायिकों और सरकार के लिए साइबर जगत को सुरक्षित और लचीला बनाना है।
- इसका उद्देश्यन साइबर हमलों से राष्ट्र को सुरक्षित बनाने और खामियां दूर करने के लक्ष्य तय करना है।
- इसका लक्ष्य देश के अंदर सभी हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाना है।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विजन और मिशन के समर्थन में उद्देश्य एवं रणनीति तय की गई हैं।
- ऐसी रूपरेखा और पहल तैयार की गई हैं जो सरकार के स्तर, क्षेत्र स्तर पर और सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाई जा सकती हैं।
- इससे साइबर सुरक्षा अनुपालन, साइबर हमलों, साइबर अपराध और साइबर बुनियादी ढांचा वृद्धि जैसे रुझानों की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी की जा सकेगी।

भारत में हर 10 मिनट में होता है 1 साइबर क्राइम

- इस साल ग्लोबल साइबर हमला, रैन्समवेयर, साइबर क्राइम की सबसे चर्चित घटना भले रहा हो, लेकिन इकलौता नहीं। साल 2017 के पहले 6 महीनों में हर 10 मिनट पर एक साइबर क्राइम होने की बात सामने आई है।
- इंडियन कम्प्यूटर इमर्जेंसी रिस्पॉन्स टीम के मुताबिक जनवरी से जून 2017 के बीच साइबर क्राइम के 27,482 मामले दर्ज किए गए। इसमें जालसाजी, स्कैनिंग, साइट में घुसपैठ, साइट को बिगाड़ना, वायरस पहुंचाना, रैन्समवेयर और साइट का काम ठप करना शामिल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में इंटरनेट से जुड़ते लोगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण साइबर क्राइम्स को होने से पहले ही पहचानना और रोकना बहुत जरूरी है।
- पिछले साढ़े तीन साल में भारत में साइबर क्राइम्स की संख्या 1.71 लाख पहुंच चुकी है। इस साल अभी तक दर्ज किए जा चुके मामलों के हिसाब से यह कहना मुश्किल नहीं है कि दिसंबर तक यह संख्या 50 हजार पार कर जाएगी।
- साइबर क्राइम का असर कई सिस्टम्स और कंपनियों पर पड़ता है। उन सभी को विशेष टीमों के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। भारत में जालसाजी और साइट को बिगाड़ने जैसी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन रैन्समवेयर ने सबको हैरान कर दिया। 2013 से 2016 के डेटा पर नजर डालें तो पाएंगे कि नेटवर्क स्कैनिंग और प्रोबिंग के जरिए डेटा चुराने की शुरुआत की जाती है। ऐसे मामलों की संख्या 6.7 प्रतिशत है। वायरस या मैलवेयर के जरिए 17.2 प्रतिशत अपराध किए जाते हैं।
- रैन्समवेयर का इस्तेमाल कर बिटकॉइन में फिरौती मांगने की घटनाओं के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से मामले पर ध्यान देने के लिए कहा। आरबीआई भी बिटकॉइन पर चेतावनी जारी करता रहता है।

संभावित प्रश्न

डिजिटल भारत में साइबर सुरक्षा एवं निजता दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। सरकार द्वारा इनके संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं? चर्चा करें।